



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 107]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 28, 2016/चैत्र 8, 1938

No. 107]

NEW DELHI, MONDAY, MARCH 28, 2016/CHAITRA 8, 1938

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 मार्च, 2016

सं. भा.आ.प.-34(1)/2015-मेडि./176581.—भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्, (मेडिकल कॉलेजों/संस्थानों में रैगिंग की रोकथाम एवं निषेध) विनियमावली, 2009 में पुनः संशोधन करने हेतु भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् केंद्र सरकार की पूर्व-स्वीकृति से एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, नामतः

- 1 (i) इन विनियमों को "भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् (मेडिकल कॉलेजों/संस्थानों में रैगिंग की रोकथाम एवं निषेध) विनियमावली (संशोधन), 2016" कहा जाए।
- (ii) वे सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
2. "भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् (मेडिकल कॉलेजों/संस्थानों में रैगिंग की रोकथाम एवं निषेध) विनियमावली, 2009" में निम्नलिखित अभिवर्धन/संशोधन/विलोप/प्रतिस्थापन इसमें दर्शाए गए अनुसार होंगे:
3. "इन नियमों के उद्देश्य के लिए परिभाषाएं:" शीर्षक के अंतर्गत खंड 3 में "रैगिंग" शीर्षक के अंतर्गत उप-खंड 3.3 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा:

"3.3 "रैगिंग" में निम्नलिखित शामिल होगा:

कोई आचरण, चाहे वह कहे गए शब्दों द्वारा हो या लिखित शब्दों द्वारा या किसी ऐसे कार्य द्वारा हो, जिसका किसी अन्य छात्र के साथ उत्पीड़न, चिढ़ाने वाला या अभद्र व्यवहार करने या हैंडलिंग का प्रभाव हो, हुल्लडबाजी या अनुशासनहीनता के ऐसे क्रियाकलापों में लिप्त होना, जो क्रोध, कष्ट या मनोवैज्ञानिक क्षति का कारण बनें या बनने की संभावना हो या किसी नए या कनिष्ठ छात्र में डर या डर की आशंका उत्पन्न करना या छात्रों को कोई ऐसा कार्य या अभिनय करने के लिए कहना, जो सामान्यतया वह छात्र नहीं करेगा और जिसमें शर्म या परेशानी की भावना उत्पन्न करने या का कारण बनने का प्रभाव हो जिससे किसी नए या किसी कनिष्ठ छात्र के शरीर या मन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो। इस आचरण में किसी वरिष्ठ छात्र द्वारा ऐसा कोई कार्य शामिल है, परंतु यह इन तक ही सीमित नहीं है, जो किसी अन्य छात्र या किसी नए छात्र के नियमित अकादमिक क्रियाकलाप को रोकता है, उसमें बाधा पहुंचाता है या व्यवधान पहुंचाता है; किसी व्यक्तिगत छात्र या छात्रों के किसी समूह को सौंपे गए अकादमिक कार्यों को पूरा करने के लिए किसी नए छात्र या किसी अन्य छात्रों की सेवाओं का शोषण करना; छात्रों द्वारा किसी नए छात्र या किसी अन्य छात्र पर डाले गए दबावपूर्ण ढंग से खर्च का भार या वित्तीय खसोट का कोई कार्य; इसकी सभी विभिन्न किस्मों सहित शारीरिक दुरुपयोग का कोई कृत्य; यौन शोषण, समलैंगिक प्रहार, कपड़े उतरवाना, अश्लील और कामुक कृत्यों के लिए दबाव डालना, इशारा करना, शारीरिक नुकसान पहुंचाना या स्वास्थ्य या व्यक्ति को कोई अन्य खतरा पहुंचाना; बोले गए शब्दों, ई-मेलों, डाक,

सार्वजनिक अपमानों द्वारा कोई कृत्य या शोषण, जिसमें नए छात्र या किसी अन्य छात्रों को पराजय में सक्रिय या निष्क्रिय रूप से भाग लेने से विकृत आनंद लेने, प्रतिनिधिक या परपीड़न के नुक्ते का उत्तेजन भी शामिल है; कोई ऐसा कार्य, जो कामुकता का आनंद प्राप्त करने या शक्ति, अधिकार या श्रेष्ठता प्रदर्शित करने की मंशा से या के बिना किसी नए छात्र या अन्य छात्र के मानसिक स्वास्थ्य और आत्मविश्वास को प्रभावित करता हो।”

4. “संस्था के स्तर पर रैगिंग की रोकथाम के लिए उपाय” शीर्षक के अंतर्गत खंड 6 में “दाखिलों से पहले” शीर्षक के अंतर्गत उप-खंड 6.1.7 को निम्नलिखित रूप में प्रतिस्थापित / जोड़ा जाएगा:

- (i) उप-खंड 6.1.7 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा:

“6.1.7 किसी छात्रावास, जो मेडिकल कॉलेज/संस्थान/विश्वविद्यालय का भाग है, में दाखिला लेने का इच्छुक या किसी अस्थायी परिसर, जो संस्थान का भाग नहीं है, जिसमें वाणिज्यिक रूप से प्रबंधित कोई लॉज या छात्रावास शामिल है, में दाखिला लेने का इच्छुक कोई छात्र, छात्रावास में स्थान के लिए अपने आवेदनपत्र के साथ अनुबंध-1 (दोनों भागों) के फार्म पर अतिरिक्त वचनपत्र प्रस्तुत करेगा।”

- (ii) उप-खंड 6.1.12 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा:

“6.1.12 मेडिकल कॉलेज/संस्थान/विश्वविद्यालय, रैगिंग की घटनाओं के होने के लिए असुरक्षित के रूप में जाने गए सभी स्थानों की पहचान करेगा, उसमें उचित ढंग से प्रकाश की व्यवस्था करेगा और उस पर निकटता से नजर रखेगा।”

- (iii) उप-खंड 6.1.13 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा:

“6.1.13 मेडिकल कॉलेज, संस्थान, विश्वविद्यालय अपने परिसरों में, विशेष रूप से असुरक्षित स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था सख्त करेगा और इन नियमों में उल्लिखित रैगिंग प्रतिरोधी दस्ते द्वारा सघन पुलिस व्यवस्था करेगा और अकादमिक सत्र के प्रारंभिक महीनों के दौरान विषम समय में ऐसे स्थानों पर वालंटियरों, यदि कोई हैं, का सहारा लेगा।”

- (iv) खंड 6.1.13 के पश्चात् निम्नलिखित खंड जोड़ा जाएगा:

“6.1.13(क) संस्थान प्रमुख, संस्थान में नामांकित छात्रों द्वारा आवासीय उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले प्रत्येक निजी रूप से वाणिज्यिक रूप से प्रबंधित छात्रावासों या लॉजों के ब्योरों की सूचना स्थानीय पुलिस और स्थानीय प्राधिकारियों को उपलब्ध कराएगा और संस्थान प्रमुख यह भी सुनिश्चित करेगा कि रैगिंग प्रतिरोधी दस्ता उनमें रैगिंग होने को रोकने के लिए ऐसे स्थानों पर सतर्कता सुनिश्चित करे।”

5. “संस्थान के स्तर पर रैगिंग की रोकथाम के लिए उपाय” शीर्षक के अंतर्गत खंड 6 में “दाखिला हो जाने पर” शीर्षक के अंतर्गत उप-खंड 6.2 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित / जोड़ा जाएगा:

- (i) उप-खंड 6.2.5 में, उसके दूसरे पैरे के अंत के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जाएगा:

“(v) जहां तक संभव हो, संकाय सदस्यों को, नए छात्रों के बीच विश्वास की भावना स्थापित करने के लिए अपने-अपने छात्रावासों में छात्रावास में रहने वाले छात्रों के साथ भोजन करना चाहिए।”

- (ii) उप-खंड 6.2.6 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा:

“6.2.6 नए छात्रों या किसी अन्य छात्र (छात्रों) को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा कि वे या तो पीड़ितों के रूप में या गवाहों के रूप में रैगिंग की घटनाओं की सूचना दें। ऐसे सूचनादाताओं की पहचान गुप्त रखी जाएगी और केवल ऐसी घटनाओं की सूचना देने के कारण ही किसी प्रतिकूल परिणाम के अधीन नहीं आएंगे।”

- (iii) उप-खंड 6.2.6 के पश्चात् निम्नलिखित उप-खंड जोड़े जाएंगे :

“6.2.7 संस्थान में पहुंचने पर नए छात्रों का प्रत्येक बैच छोटे समूहों में विभाजित किया जाएगा और प्रत्येक समूह किसी संकाय सदस्य को सौंपा जाएगा, जो संस्थान में नए छात्रों द्वारा सामना की जा रही कठिनाइयों, यदि कोई हैं या समस्याओं का पता लगाने के लिए प्रतिदिन समूह के प्रत्येक सदस्य के साथ व्यक्तिगत रूप से विचार-विमर्श करेगा और उनका हल निकालने में नए छात्रों को आवश्यक सहायता, प्रदान करेगा।

6.2.8 नए छात्र, जहां तक संभव हो, एक अलग छात्रावास ब्लॉक में ठहरेंगे और जहां ऐसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, संस्थान यह सुनिश्चित करेगा कि नए छात्रों को आर्बटिंट आवास में वरिष्ठ छात्रों की पहुंच पर सख्ती से बार्डनों, सुरक्षा गार्डों और संस्थान के अन्य स्टाफ द्वारा मॉनीटरिंग की गई हो।

6.2.9 कक्षाएं समाप्त होने के पश्चात् छात्रावास में रैगिंग रोकने की दृष्टि से छात्रावास परिसर में रैगिंग के विरुद्ध संस्थान द्वारा 24 घंटे सतर्कता सुनिश्चित की जाएगी।”

डॉ. श्रीमती रीना नय्यर, प्रभारी सचिव

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्

पाद टिप्पणी : प्रधान विनियमावली, नामतः "भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् (मेडिकल कॉलेजों/संस्थानों में रैगिंग की रोकथाम एवं निषेध) विनियमावली, 2009" 03 अगस्त, 2009 को भारत के राजपत्र के भाग III, खंड 4 में प्रकाशित की गई थी।

MEDICAL COUNCIL OF INDIA NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd March, 2016

No. MCI 34(1)/2015-Med./176581.—In Exercise of the powers conferred by Section 33 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956), the Medical Council of India with the previous sanction of the Central Government hereby makes the following regulations to amend the "Medical Council of India (Prevention and Prohibition of Ragging in Medical Colleges/Institutions) Regulations, 2009" namely:-

1. (i) These regulations may be called the "Medical Council of India (Prevention and Prohibition of Ragging in Medical Colleges/Institutions) (Amendment) Regulations, 2016."
- (ii) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the "Medical Council of India (Prevention and Prohibition of Ragging in Medical Colleges/Institutions) Regulations, 2009", the following additions/modifications/deletions/substitutions, shall be as indicated therein:-
3. In Clause 3 under the heading "Definitions:- for the purpose of these Regulations", sub-clause 3.3, under the heading "Ragging" shall be substituted with the following:-

"3.3 "Ragging" includes the following:-

Any conduct whether by words spoken or written or by an act which has the effect of harassing, teasing, treating or handling with rudeness any other student, indulging in rowdy or undisciplined activities which causes or is likely to cause annoyance, hardship or psychological harm or to raise fear or apprehension thereof in a fresher or a junior student or asking the students to do any act or perform something which such student will not in the ordinary course and which has the effect of causing or generating a sense of shame or embarrassment so as to adversely affect the physique or psyche of a fresher or a junior student. The conduct includes but is not restricted to any act by a senior student that prevents, disrupts or disturbs the regular academic activity of any other student or a fresher; exploiting the services of a fresher, or any other students for completing the academic tasks assigned to an individual or a group of students; any act of financial extortion or forceful expenditure burden put on a fresher or any other student by students; any act of physical abuse including all variants of it: sexual abuse, homosexual assaults, stripping, forcing obscene and lewd acts, gestures, causing bodily harm or any other danger to health or person; any act or abuse by spoken words, emails, post, public insults which would also include deriving perverted pleasure, "vicarious or sadistic thrill from activity or passively participating in the discomfiture to fresher or any other students; any act that affects the mental health and self-confidence of a fresher or any other student with or without an intent to derive a sadistic pleasure or showing off power, authority or superiority by a student over any fresher or any other student."

4. In clause 6, under the heading "Measures for prevention of ragging at the institution level", sub-clause 6.1.7 under the heading "Before admissions", shall be substituted/added as under:-

- (i) Sub-clause 6.1.7 shall be substituted with the following:-

"6.1.7 A student seeking admission to a hostel forming part of the Medical College/Institution/University, or seeking to reside in any temporary premises not forming part of the institution, include a private commercially managed lodge or hostel, submit additional undertaking in the form of Annexure I (both Parts) along with his/her application for hostel accommodation."

- (ii) Sub-clause 6.1.12 shall be substituted with the following:-

"6.1.12 The Medical College/Institution/University shall identify, properly illuminate and keep a close watch on all locations known to be vulnerable to occurrences of ragging incidents."

(iii) Sub-clause 6.1.13 shall be substituted with the following:-

“6.1.13 The Medical College/Institution/University shall tighten security in its premises, especially at vulnerable places and intense policing by Anti-Ragging squad, referred to in these Regulations and volunteers, if any, shall be resorted to at such points at odd hours during the early months of the academic session.”

(iv) The following clause shall be added after clause 6.1.13:-

“6.1.13(A) The head of the institutions shall provide information to the local police and local authorities, the details of every privately commercially managed hostels or lodges used for residential purposes by students enrolled in the institution and the head of the institution shall also ensure that the Anti-Ragging Squad shall ensure vigil in such locations to prevent the occurrence of ragging therein.”

5. In clause 6, under the heading “Measures for prevention of ragging at the institution level”, sub-clause 6.2, under the heading “On admission”, the following shall be substituted/added:-

(i) In sub-clause 6.2.5, after the end of second para thereof, the following shall be added:-

“(v) as far as possible faculty members should dine with the hostel residents in their respective hostels to instill a feeling of confidence among the freshers.”

(ii) Sub-clause 6.2.6, shall be substituted with the following:-

“6.2.6 Freshers or any other student(s) shall be encouraged to report incidents of ragging, either as victims, or even as witnesses. The identity of such informants shall be protected and shall not be subject to any adverse consequence only for the reason for having reported such incidents.”

(iii) Following sub-clauses shall be added after sub-clause 6.2.6:-

“6.2.7 Each batch of freshers, on arrival at the institution, shall be divided into small group and each such group shall be assigned to a member of the faculty, who shall interact individually with each member of the group everyday for ascertaining the problems is difficulties, if any, faced by the fresher in the institution and shall extend necessary help to the fresher in overcoming the same.

6.2.8 Freshers shall be lodged, as far as may be, in a separate hostel block, and where such facility are not available, the institution shall ensure that access of seniors to accommodation allotted to freshers is strictly monitored by wardens, security guards and other staff of the institution.

6.2.9 A round the clock vigil against ragging in the hostel premises, in order to prevent ragging in the hostels after the classes are over, shall be ensured by the institution.”

Dr. Mrs. REENA NAYYAR, Secretary (I/c),
Medical Council of India

Foot Note: The Principal Regulations namely, “Medical Council of India (Prevention and Prohibition of Ragging in Medical Colleges/Institutions) Regulations, 2009” were published in Part–III, Section 4 of the Gazette of India on the 3rd August, 2009.